

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-37()परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्था-प्रथम/2019/3186 जयपुर दिनांक 29.09.2019

अति/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद- जोधपुर/हनुमानगढ/
जालौर/सीकर/जयपुर/

विषय:- कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधीन कार्यरत निम्नांकित मंत्रालयिक कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके सम्मुख अंकित स्थान पर कर अवगत करावे:-

क्रम संख्या	नाम कार्मिक सर्वश्री	पदनाम	कहां से	कहां को
1.	मदनलाल कुलदीप	सहायक प्रशा. अधिकारी	प.स.लोहावट, जोधपुर	अन्य पंचायत समिति
2.	विनोद गोदारा	वरिष्ठ सहायक	जिला परिषद हनुमानगढ से अन्यत्र स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत जि.प. हनुमानगढ
3.	राजेश भटनागर	वरिष्ठ सहायक	प.स.जालौर से अन्यत्र स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत प.स. जालौर
4.	उगमसिंह कालावत	वरिष्ठ सहायक	प.स.जालौर से अन्यत्र स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत प.स. जालौर
5.	गणेशाराम जारड	वरिष्ठ सहायक	प.स.धौद,सीकर	अन्य पंचायत समिति
6.	संजीव कुमार आर्य	कनिष्ठ सहायक	प.स.सांभरलेक, जयपुर	ग्रा.प. भाकरी प.स.पावटा, जयपुर

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परीविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।

4. यदि किसी कार्मिक का स्थानांतरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।

८) _____
22/8/2019
(सुनील शर्मा)
संयुक्त सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

- 1—विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्राविपंरा जयपुर।
- 2—निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
- 3—एसीपी मुख्यालय, जयपुर को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- 4—सम्बन्धित विकास अधिकारी।
- 5—सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति।

८) _____
22/8/2019
संयुक्त सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त